रजिस्ट्री सं० डी० एल० 33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 188] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 16, 2012/श्रावण 25, 1934
No. 188] NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 16, 2012/SHRAVANA 25, 1934

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 अगस्त, 2012

अंतिम जाँच परिणाम

विषय : इण्डोनेशिया, कोरिया गणराज्य, मलेशिया और चीनी ताइपेई के मूल के अथवा निर्यातित पालियस्टर के सभी तरह के पूर्णतया ड्रान या पूर्णतया ओरियन्टेड यार्न/स्पिन ड्रान यार्न/फ्लैट यार्न के आयात पर अधिरोपित पाटनरोधी शुल्क की निर्णायक समीक्षा ।

फा. सं. 15/26/2010-डीजीएडी.—निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे एतदपश्चात् प्राधिकारी कहा गया है) ने इण्डोनेशिया, कोरिया गणराज्य, मलेशिया एवं चीनी ताइपेई से पालियस्टर के सभी तरह के पूर्णतया ड्रान या पूर्णतया ओरियन्टेड यार्न/स्पिन ड्रान यार्न/फ्लैट यार्न (जिसे एतद्पश्चात् एफडीवाई या संबद्ध वस्तु कहा गया है) के कथित पाटन के बारे में पालियस्टर के सभी तरह के पूर्णतया ड्रान या पूर्णतया ओरियन्टेड यार्न/स्पिन ड्रान यार्न/फ्लैट यार्न पर अधिरोपति पाटनरोधी शुल्क की दिनांक 1 मार्च, 2011 को निर्णायक समीक्षा शुरू की थी । इससे पहले प्राधिकारी ने इण्डोनेशिया, कोरिया गणराज्य, मलेशिया और चीनी ताइपेई (जिसे एतद्पश्चात् संबद्ध देश कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित पालियस्टर के सभी तरह के पूर्णतया ड्रान या पूर्णतया ओरियन्टेड यार्न/स्पिन ड्रान यार्न/फ्लैट यार्न (जसे एतद्पश्चात् संबद्ध वस्तु कहा गया है) के आयात पर पाटनरोधी शुल्क अधिरोपित करने की सिफारिश की थी । प्राधिकारी की अंतिम निष्कर्ष अधिसूचना दिनांक 26 दिसम्बर, 2006 की अधिसूचना सं. 14/3/2015-डीजीएडी के तहत जारी की गई थी । निष्कर्षों के आधार पर 20 फरवरी, 2007 की अधिसूचना सं. 15/2007-सीमा-शुल्क के तहत राजस्व विभाग द्वारा संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के आयात पर पाटनरोधी शुल्क अधिरोपित किया गया था ।

2. और यत:, अधिनियम एवं नियम प्राधिकारी से यह अपेक्षा करते हैं कि वह पूर्व में अधिरोपित पाटनरोधी शुल्क की समीक्षा करें । और यत:, इण्डियन मेटल एंड फेरो अलायज लिमि. बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी, 2006 की रिट याचिका (सिविल) सं. 16893 मामले में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश के मद्देनजर और पाटनरोधी नियमावली के नियम 23 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9क(5) के अनुसार प्राधिकारी ने प्रभावी शुल्क के अधिरोपण की निरंतरता की जरूरत की समीक्षा करने और यह जांच करने के लिए कि क्या उक्त शुल्क को समाप्त करने से पाटन और क्षति बने रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है, एक निर्णायक समीक्षा जांच प्रारम्भ करते हुए भारत सरकार के राजपत्र, असाधारण में दिनांक 1 मार्च, 2011 को प्रकाशित एक सार्वजनिक नोटिस जारी किया ।

3. और यतः, दिनांक 21 अगस्त, 2006 की अधिसूचना सं. 82/2006-सीमाशुल्क, एवं तत्पश्चात दिनांक 20 फरवरी, 2007 की एक अन्य अधिसूचना सं. 15/2007-सीमाशुल्क के तहत यथा-अधिसूचित अंतिम निष्कर्षों को प्रभावी बनाते हुए पाटनरोधी शुल्क 20 अगस्त, 2011 तक जारी रहना था । उक्त शुल्क को 5 मार्च, 2012 की अधिसूचना सं. 15/2012-सीमाशुल्क (एडीडी) द्वारा पुनः 20 अगस्त,2012 तक बढ़ा दिया गया । केन्द्रीय सरकार ने पाटनरोधी जाँच पूरी करने के लिए समय-सीमा बढ़ाकर 29 अगस्त 2012 कर दी ।

4. दिनांक 1 मार्च, 2011 का जाँच शुरूआत नोटिस सं. 15/26/2010-डीजीएडी भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया । इस जाँच शुरूआत नोटिस के संबंध में भारत में संबद्ध वस्तु के चार उत्पादकों की ओर से एसोसिएशन ऑफ सिन्थेटिक फाइबर इण्डस्ट्री (एएसएफआई) ने प्रत्युत्तर प्रस्तुत किया और पाटन, क्षति एवं कारणात्मक संबंध (पाटन एवं क्षति की संभाव्यता सहित) के बारे में विस्तृत सूचना प्रस्तुत की । जाँच प्रक्रिया के दौरान मै0 एएसएफआई ने निम्नलिखित कम्पनियों के संबंध में क्षति सूचना प्रदान की:-

(क) मै0 रिलायन्स इण्डस्ट्रीज लिमि0
(ख) मै0 जेबीएफ इण्डस्ट्रीज लिमि0
(ग) मै0 वेलनोन पालियस्टर लिमि0
(घ) मै0 गार्डन सिल्क मिल्क लिमि0

5. प्राधिकारी ने इस सार्वजनिक नोटिस की एक प्रति संबद्ध देशों में ज्ञात उत्पादकों और/या निर्यातकों को अग्रेषित की तथा नियम 6(2) के अनुसार इस पत्र की प्राप्ति के चालीस (40) दिनों के भीतर संगत जानकारी प्रदान करने और अपने विचारों को लिखित रूप में प्रस्तुत करने का सुझाव दिया ।

6. प्राधिकारी ने इस सार्वजनिक नोटिस की एक प्रति भारत में संबद्ध वस्तु के ज्ञात आयातकों और/या उपभोक्ताओं को अग्रेषित की और नियम 6(2) के अनुसार इस पत्र के जारी होने की तारीख से चालीस दिनों के अंदर संगत जानकारी प्रदान करने और अपने विचारों को लिखित रूप में प्रस्तुत करने का सुझाव दिया ।

7. प्राधिकारी ने उक्त नियम 6(3) के अनुसार आवेदन के अगोपनीय पाठ की प्रतियाँ ज्ञात उत्पादकों और/या निर्यातकों तथा संबद्ध देशों के राजदूतावास को प्रदान कराई । अगोपनीय आवेदन की एक प्रति अनुरक्षित सार्वजनिक फाइल में रखी गई और उसकी प्रतियाँ अन्य हितबद्ध पक्षकारों को भी, अनुरोध पर उपलब्ध कराई गई ।

8. प्राधिकारी ने नियम 6(4) के अनुसार ज्ञात निर्यातकों/उत्पादकों सहित संबद्ध देशों की सरकारों को संगत सूचना स्पष्ट करने के लिए एक प्रश्नावली भेजी ।

संबद्ध देशों के निम्नलिखित उत्पादकों और निर्यातकों ने उक्त प्रश्नावली का प्रत्युत्तर/टिप्पणी प्रस्तुत की ।

(क) मै0 रिक्रान, मलेशिया
(ख) मै0 वूंगिजन कैमिकल्स कं0 लिमि0, कोरिया गणराज्य
(ग) मै0 ह्योसंग कारपोरेशन, कोरिया गणराज्य
(घ) मै0 पीटी. इण्डो-रामा सिन्थेटिक्स टीबीके, इण्डोनेशिया
(ड.) मै0 हुविस कारपोरेशन, कोरिया गणराज्य
(च) मै0 नॉन या प्लास्टिक्स कारपोरेशन ("नान या")

9. यह प्रश्नावली ज्ञात आयातकों एवं उपयोक्ताओं को नियम 6(4) के अनुसार आवश्यक सूचना प्रदान करने के लिए भेजा गया । प्राधिकारी ने विचाराधीन उत्पाद के औद्योगिक उपयोक्ताओं को पाटन, क्षति और कारणात्मक संबंध के बारे में इस जाँच से संगत जानकारी प्रस्तुत करने के लिए अवसर प्रदान किया । अधोलिखित ज्ञात आयातकों और उपयोक्ताओं को व्यक्तिगत रूप से सूचित किया गया और उनसे अपना प्रत्युत्तर देने को कहा गया:-

(क) मै0 श्री कृष्णा ट्रेडिंग कम्पनी
(ख) मै0 सहेली वस्त्र उद्योग लिमि0
(ग) मै0 रामगोपाल पालीटेक्स लिमि0
(घ) मै0 बोधारा पालीफैब प्रा0लि0
(ड.) मै0 कन्सल टैक्सो-ट्यूब प्रा0लिमि0
(च) मै0 जयलान इम्पेक्स इण्डिया प्रा0लि0
(छ) मै0 आशु एक्जिम प्रा0लिमि0
(ज) मै0 किरन इण्डस्ट्रीज
(झ) मै0 श्याम सुन्दर टैक्सटाइल्स
( ) मै0 कापी टैक्सटाइल्स
(ट) मै0 शिवम टैक्सटाइल्स
(ठ) मै0 सोहम टैक्सटाइल्स

10. प्राधिकारी ने सभी हितबद्ध पक्षकारों को संगत जानकारी मौखिक रूप से प्रस्तुत करने का अवसर देने के लिए 29 नवम्बर, 2011 को मौखिक सुनवाई का आयोजन किया । इस सार्वजनिक सुनवाई में कई हितबद्ध पक्षकारों ने भाग लिया । इस सार्वजनिक सुनवाई में भाग लेने वाले पक्षकारों को सुझाव दिया गया कि मौखिक रूप से प्रस्तुत सूचना संबंधी अपना निवेदन लिखित रूप में प्रस्तुत करें और प्रति-प्रत्युत्तर निवेदन, यदि कोई हो, भी दर्ज करें ।

11. यह जाँच 1 जनवरी, 2010 से 31 दिसम्बर, 2010 (12 माह) की अवधि के लिए की गई थी और इसे जाँच अवधि (पीओआई) के रूप में उल्लिखित किया गया । तत्पश्चात, प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग तथा संबद्ध देशों में उत्पादकों/निर्यातकों से जाँच की अवधि के बाद वाले छह माह को शामिल करते हुए अवधि के संबंध में अतिरिक्त सूचना मांगी । स्थल सत्यापन के उपरांत संबद्ध देशों के सभी सहयोगकर्ता उत्पादकों और निर्यातकों को सत्यापन रिपोर्ट जारी की गई ।

12. घरेलू उद्योग के दिनांक 12 जुलाई, 2012 के पत्र के तहत प्राधिकारी को जानकारी दी गई कि वे मूल शुल्क की अवधि बढ़ाने के इच्छुक नहीं है ।

13. तत्पश्चात, हितबद्ध पक्षकारों को दिनांक 27 जुलाई, 2012 को, एक प्रकटन विवरण उनकी टिप्पणी, यदि कोई हो, प्रस्तुत करने के लिए भेजा गया । इस प्रकटन के विवरण के संबंध में किसी भी हितबद्ध पक्षकार से कोई टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई है ।

14. प्राधिकारी नोट करते हैं कि प्राधिकारी द्वारा यह समीक्षा जाँच, इण्डियन मेटल एण्ड फेरो अलाय लिमिटेड बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी के मामले में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए आदेश के मद्देनजर अपनी और से शुरू की गई थी । जाँच शुरूआत के पश्चात घरेलू उद्योग ने इसकी समीक्षा करने और पाटनरोधी शुल्क आगे पांच वर्षों की अवधि के लिए और बढ़ाए जाने का अनुरोध करते हुए एक आवेदन पत्र प्रस्तुत किया । चूँकि घरेलू उद्योग ने स्वयं सूचित किया कि वे पाटनरोधी शुल्क अधिरोपण की अवधि में विस्तार करने का अनुरोध नहीं कर रहे हैं और न ही किसी हितबद्ध पक्षकार ने जुलाई, 2012 में उन्हें जारी प्रकटन विवरण के संबंध में अपनी कोई टिप्पणी प्रस्तुत की है, इसलिए धारा 9क(5) में दी गई शर्तों के अनुरूप दिनांक 1 मार्च, 2011 की अधिसूचना सं. 15/26/2010 के तहत जारी समीक्षा जाँच शुरूआत समाप्त की जाती है ।

15. अतः, प्राधिकारी , संबद्ध देशों से सम्बद्ध वस्तुओं के आयात पर अधिरोपित पाटनरोधी शुल्क, जिसे दिनांक 05.03.2012 की अधिसूचना सं. 15/2012-सीयूएस के तहत बढ़ाया गया था, का निरसन करने की संस्तुति करते है ।

विजयलक्ष्मी जोशी, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI-DUMPING AND ALLIED DUTIES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th August, 2012

FINAL FINDINGS

Sub :—Sunset Review of Anti-Dumping duty imposed on imports of All Fully Drawn or Full Oriented Yarn/Spin Drawn Yarn/Flat Yarn of Polyester originating in or exported from Indonesia, Republic of Korea, Malaysia and Chinese Taipei.

F. No. 15/26/2010-DGAD.—The Designated Authority (hereinafter referred to as Authority) initiated a sunset review of anti-dumping duty imposed on All Fully Drawn or Full Oriented Yarn/Spin Drawn Yarn/Flat Yarn of Polyester on 1st March, 2011, in respect of alleged dumping of All Fully Drawn or Full Oriented Yarn/Spin Drawn Yarn/Flat Yarn of Polyester (hereinafter also referred to as FDY or subject gnods) from Indonesia, Republic of Korea, Malaysia and Chinese Taipei. Earlier, the Authority had recommended imposition of Anti-dumping Duty on imports of All Fully Drawn or Full Oriented Yarn/Spin Drawn Yarn/Flat Yarn of Polyester (hereinafter referred to as subject goods) originating in or exported from Indonesia, Republic of Korea, Malaysia and Chinese Taipei (hereinafter referred to as subject countries). The final findings notification of the Authority was published *vide* Notification No. 14/3/2015-DGAD, dated 26th December, 2006. On the basis of the findings, anti-dumping duty was imposed on the imports of the subject goods from subject countries by the Department of Revenue *vide* Notifications No. 15/2007-Customs, dated 20th February, 2007.

2. And whereas, the Act and the Rules require the Authority to conduct review of anti-dumping duty earlier imposed. And whereas, in view of the order of the Hon'ble Delhi High Court in the matter of Indian Metal and Ferro Alloys Ltd. V/s Designated Authority, Writ Petition (Civil) No. 16893 of 2006 and in accordance with Section 9 A (5) of the Act, read with Rule 23 of AD Rules, the Authority issued a public notice dated 1st March 2011, published in the Gazette of India, Extraordinary, initiating the sunset review investigation to review the need for continued imposition of duties in force and to examine whether the cessation of such duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury.

3. And whereas as notified *vide* Notification No. 82/2006-Customs, dated 21st August, 2006 followed by another Notification No 15-2007-Customs, dated 20th February, 2007 giving effect to final findings, the anti-dumping duty were to continue up to 20th August, 2011. The said duties

were further extended by notification no 15/2012-customs (ADD) dated 5th march 2012 till 20th August 2012. The Central government extended the time limit to complete the anti dumping investigations till 29th August 2012.

4. The notice of initiation No 15/26/2010-DGAD dated 1st March 2011 was published in the Gazette of India. The Association of Synthetic Fiber Industry (ASFI) responded on behalf of four producers of subject goods in India to the notice of initiation and provided detailed information with regard to dumping, injury & causal link (including likelihood of dumping and injury). During the course of investigations, M/s ASFI provided injury information in respect of following companies-

a) M/s. Reliance Industries Ltd.,
b) M/s. JBF Industries Ltd,
c) M/s. Wellknown Polyesters Ltd ,
d) M/s. Garden Silk Mills Ltd. ,

5. The Authority forwarded a copy of the public notice to the known producers and/or exporters in the subject countries and provided them opportunity to provide relevant information and make their views known in writing within forty(40) days from the date of the letter in accordance with the Rule 6(2).

6. The Authority forwarded a copy of the public notice to all the known importers and/or consumers of subject goods in India and advised them to provide relevant information and make their views known in writing within forty days from the date of issue of the letter in accordance with the Rule 6(2).

7. The Authority provided copies of the non-confidential version of the application to the known producers and/or exporters and the Embassy of the subject countries in accordance with Rules 6(3) supra. A copy of the non-confidential application was placed in the Public File maintained and copies of the same were also made available for other interested parties, on request.

8. The Authority sent a questionnaire to elicit relevant information to the Governments of subject countries including known exporters/producers in accordance with the Rule 6(4).

The following producers and exporters from subject countries filed response/comments filed response to the questionnaire.

a) M/s Recron, Malaysia
b) M/s Woongjin Chemical Co. Ltd. , Korea RP
c) M/s Hyosung Corporation Korea RP,
d) M/s PT. Indo-Rama Synthetics Tbk, Indonesia.
e) M/s Huvis Coporation, Korea RP,
f) M/s Nan Ya Plastics Corporation ("Nan Ya")

9. Questionnaire was sent to known importers and users for providing necessary information in accordance with Rule 6(4). The Authority provided opportunity to the industrial users of the product under consideration, to furnish information considered relevant to the investigation regarding dumping, injury and causal link. The following known importers and users were individually informed and asked to file response:

a) M/s Shree Krishna Trading Company,
b) M/s Saheli Vastra Udyog Ltd.

c) M/s Ramgopal Ploytex Ltd.
d) M/s Boghara Polyfab Pvt,Ltd.
e) M/s Kansal Texo-Tube Pvt. Ltd.
f) M/s Jaylon Impex India Pvt, Ltd.
g) M/s Aasu Exim Pvt, ltd.
h) M/s Kiran Industrues,
i) M/s Shyam Sunder Textiles
j) M/s Kapi Textiles.
k) M/s Shivam Textiles,
l) M/s Soham Textiles,

10. The Authority held a oral hearing on 29th November, 2011 to provide an opportunity to all the interested parties to present relevant information orally. The Public Hearing was attended by various interested parties. The parties attending the public hearing were advised to file written submissions of the information presented orally and also file rejoinder submissions, if any.

11. Investigation was carried out for the period starting from 1st January, 2010 to 31st December, 2010 (12 months) and has been referred to as the period of investigation (POI. Later, the Authority sought additional information from the Domestic Industry as well Producers/exporters from subject countries for period covering six months after the period of investigation. A verification report was issued to all the cooperating producers and exporters from the subject countries post the onsite verification.

12. Vide their letter dated 12th July 2012, the domestic industry has informed the Authority that they are not interested in seeking extension of the period for imposition of original duties.

13. A disclosure statement was issued thereafter to interested parties on 27th July 2012 requesting them to forward their comments if any. No comments have been received from any of the interested parties with regard to the disclosure statement.

14. The Authority notes that the review investigation was initiated suo moto by the Authority in view of the order of the Hon'ble Delhi High court in the matter of Indian Metal and Ferro Alloys Ltd V/s Designated Authority. After initiation, the domestic industry had submitted an application requesting for a review and extend the anti dumping duty for a further period of five years. Since the domestic industry itself has conveyed that they are not praying for extension of period of imposition of anti dumping duties and none of the interested parties have offered any comments to disclosure statement issued in July, 2012 , the review investigation initiated in terms of section 9A (5) vide notification no 15/26/2010 dated 1st March 2011 is hereby terminated.

15. The Authority therefore recommends revocation of the anti dumping duty imposed on the import of the subject goods from the subject countries which was extended vide Notification No. 15/2012-Cus dated 5.3.2012.

VIJAYLAXMI JOSHI, Designated Authority

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.